

प्रेषक

पुलिस उपायुक्त,
यातायात, गुरुग्राम।

प्रेषित

1. सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, पूर्व/हाईवे, गुरुग्राम।
2. सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, पश्चिम, गुरुग्राम।
3. सभी यातायात निरीक्षक, गुरुग्राम।
4. प्रबंधक थाना यातायात, प्रथम, द्वितीय व के0एम0पी0, गुरुग्राम।
5. प्रभारी यातायात कन्ट्रोल रूम, गुरुग्राम।

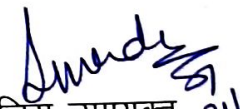
क्रमांक: 2402-21 दिनांक: 31-03-2020

विषय :- (COVID-19) - 31 मार्च 2020 को गैर-सरकारी संस्थओं/कंपनियों में कार्यरत Accountant व सैलरी बनाने वाले कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान नहीं रोकने बारे।

यादि,

जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 31-03-2020 को महीने का आखरी दिन है। इस दिन गैर-सरकारी कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों को सैलरी पहुंचाना जरूरी है। यदि समय पर कम्पनियों में तैनात कर्मचारियों को सैलरी नहीं पहुंचाई गई तो लोगो में लॉकडाउन के दौरान गलत सन्देश जा सकता है, जिससे कानून व्यवस्था भी खराब हो सकती हैं।

अतः आप सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि लॉकडाउन के दौरान गैर-सरकारी संस्थाओं/कंपनियों में कार्यरत Accountant व सैलरी बनाने वाले अन्य कर्मचारियों से चैकिंग के दौरान बात-चीत करे और उनका कम्पनी से सम्बन्धित पहचान पत्र (Identity Card) चैक करे और ठीक पाये जाने पर तुरन्त जाने दे यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, गुरुग्राम इस दौरान अपने-2 क्षेत्राधिकार में लगाई गई ड्यूटियों को चैक करेंगे। पालना दृढता से की जावे।


पुलिस उपायुक्त, 31/03/2020
यातायात, गुरुग्राम।